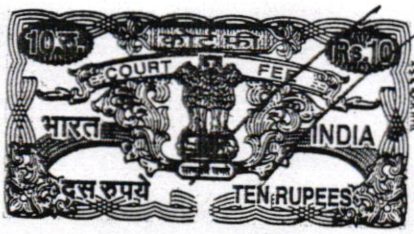

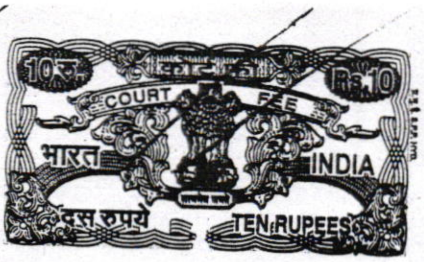

।। श्री ।।

न्यायालय श्रीमान [redacted] राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रि.क. /13–14 निगरानी R-3414-I/14

चम्पालाल पिता मोतीलालजी जाति बलाई
निवासी ग्राम गाजीखेड़ी तह. बड़नगर जिला उज्जैन
––निगरानीकर्ता

पक्षी अभिभाषक श्री... भूपेन्द्र सोलंकी
द्वारा प्रस्तुत 04/9/2014
दिनांक.............
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

01– हंसराज पिता गणपतजी
02– अर्जुन पिता गणपतजी
03– भंवरबाई विधवा गणपतजी सर्वगण जाति बलाई
निवासीगण ग्राम गाजीखेड़ी तह. बड़नगर जिला उज्जैन
––प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

460
04/9/2014

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के पिठासीन अधिकारी श्री पी. के.सेनगुप्ता द्वारा प्रकरण कमांक 07अ70/13–14 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 से असंतुष्ट व दुखीत होकर उसके विरूद्ध निगरानी

//प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//

30-9-14

यह कि, प्रत्यर्थीगण की ओर से एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण के नाम की भूमि सर्वे न. 22/1 रकबा 0. 21 हे. व सर्वे न. 23/1 रकबा 0.04 हे. पर निगरानीकर्ता का अवैध आधिपत्य है। ऐसा उन्होने राजस्व निरिक्षक द्वारा बनाई गई पंचनामे रिपोर्ट के आधार पर उल्लेख किया है। जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किये, बगेर निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये यह आदेश जारी कर दिया कि राजस्व निरिक्षक वृत्त 3 सीमांकन के आधार पर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रत्यर्थीगण को कब्जा दिलाया जाये उपरोक्त आदेश निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है इस कारण उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखीत होकर यह निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

R. 3414-PB/14 उज्जैन

23.9.2016

आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदकगण की ओर से भी आयोग वैध अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

अध्यक्ष

(भूपेन्द्र सोलंकी) सदस्य
आयेदक सर्वे
23/9/16